

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ0ग0)

॥ निविदा सूचना ॥

क्रमांक ६६५ /निविदा/स्वा0वि0/2016-17

राजनांदगाँव दिनांक ६६/६३/2017

स्वा0वि में जोन क्रमांक 01 में नीचे दर्शित 6 वार्डों का सफाई ढेका के माध्यम से पृथक-पृथक कराने हेतु दिनांक ६६/६३/17 को निविदा आमंत्रित की जाती है, जो कि निम्नानुसार है :-

1. निविदा फार्म लेने की तिथि - 27/3/2017 शाम 5.00 बजे तक
2. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 29/3/2017 शाम 5.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की अंतिम तिथि - 30/3/2017 शाम 5.00 बजे तक

क्रमांक	कार्य का नाम	(अनुमानित प्राक्कलन राशि) 12 माह के लिये
1	2	3
1	वार्ड क्रमांक 03 का सफाई ढेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	6,21,000 /-
2	वार्ड क्रमांक 06 का सफाई ढेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 /-
3	वार्ड क्रमांक 07 का सफाई ढेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 /-
4	वार्ड क्रमांक 08 का सफाई ढेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 /-
5	वार्ड क्रमांक 11 का सफाई ढेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 /-
6	वार्ड क्रमांक 14 का सफाई ढेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	6,83,100 /-

उपरोक्त वार्डों को निविदा से संबंधित सामान्य शर्तें, प्रश्न एवं उत्तर, निविदा, निविदा विज्ञापन, प्रश्नोत्तर, दरताखत एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन आवेदन से कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव पर उपस्थित निम्नलिखित एवं वेबसाइट www.uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनादगाँव (छ0ग0)

॥निविदा सूचना॥

क्रमांक 1304 /निविदा/स्वा0वि0/2016-17

राजनादगाँव दिनांक 06/03/2017

नगर पालिक निगम, राजनादगाँव द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में नीचे दर्शित वार्डों के सफाई ठेका कार्य हेतु स्थानीय पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह एवं सहकारी समिति से फार्म बी कलेक्टर दर के आधार पर मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा पृथक-पृथक वार्डों के लिये पृथक-पृथक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। दर प्रतिमाह ईकाई के रूप में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

1. निविदा फार्म लेने की तिथि - 27/3/2017 शाम 5.00 बजे तक
2. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 29/3/2017 शाम 5.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की अंतिम तिथि - 30/3/2017 शाम 5.00 बजे तक

क.	कार्य का नाम	(अनुमानित प्राक्कलन राशि) 12 माह के लिये	अमानती (रूपये में)	राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)
1	2	3	5		6
1	वार्ड क्रमांक 03 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	6,21,000 / --	10000.00		750.00
2	वार्ड क्रमांक 06 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 / --	10000.00		750.00
3	वार्ड क्रमांक 07 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 / --	10000.00		750.00
4	वार्ड क्रमांक 08 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	4,96,800 / --	10000.00		750.00
5	वार्ड क्रमांक 11 का सफाई ठेका कार्य	4,96,800 / --	10000.00		750.00

	कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)			
6	वार्ड क्रमांक 14 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, समस्त करों सहित निविदाकार द्वारा)	6,83,100 / -	10000.00	750.00

BMC
06/03/17
आयुक्त

राजनांदगांव पालिक निगम

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ0ग0)

।।26 ठेका के वार्डो हेतु निविदा नियम एवं शर्तें।।

1. आहूत निविदा वित्तीय वर्ष 2017-18 (01/04/17 से 31/03/18) तक के लिए मान्य होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
2. निविदा में स्थानीय सामुदायिक विकास समिति के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह ही (बचत शाख समूह) ही भाग ले सकेंगे।
3. निविदाकार को अमानती राशि बतौर एफ.डी.आर. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव के नाम से जमा करना होगा।
4. निविदाकार के देयकों से नियमानुसार आयकर तथा प्रत्येक चलित देयक से सुरक्षा निधि की राशि कटौती की जावेगी। सुरक्षा निधि की वापसी कार्य पूर्ण होने व संतोषजनक होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी।
5. असफल निविदाकारों की अमानती राशि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध उपरांत ही प्रदाय की जा सकेगी।
6. भाग लेने वाले निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों का निपटान स्वयं करना होगा इस संबंध में नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. सफल निविदाकार का EPFO में पंजीयन होना अनिवार्य है।
9. पुर्व में निगम द्वारा अनियमितता/गुणवत्ता के संबंध में जिन समितियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है वह निविदा हेतु अपात्र होगा।
10. सफल निविदाकार को अनुबंध के पुर्व समस्त कर्मचारियों का खाता क्रमांक/आधार क्रमांक देना अनिवार्य होगा यदि किसी माह में कर्मचारियों को बदला जाता है तो 1 माह पुर्व खाता क्रमांक/आधार क्रमांक की जानकारी अपडेट कराना होगा।
11. निर्धारित क्षेत्रों की सभी नालियों, सडकों, गलियों, सार्वजनिक मैदानों, तालाबों, आदि से निकलने वाले अपशिष्ट को मुख्य मुक्कड/कन्टेनर में भरना होगा जहाँ से निगम अपने वाहन के माध्यम से उसका परिवहन आसानी से कर सकें।
12. ऐसी संस्था/समिति/महिला स्व सहायता समूह जिसे नगर निगम शिकायत के आधार पर अमानत राशि राजसात् करते हुए कार्य मुक्त किया गया हो निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र होंगे।
13. कचरा मुक्कड/कन्टेनर के बाहर नहीं होना चाहिए, कचरा मुक्कड/कन्टेनर के बाहर होने की स्थिति में कार्य की अनुपातिक राशि काटी जा सकेगी।
14. कार्य की अवधि 8 घंटे की होगी जो कर्मशः प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक होगी, निर्धारित अवधि में कार्य करते हुए नहीं पाये जाने पर अनुपातिक राशि कटौती की जावेगी साथ ही अनुपरिस्थित श्रमिकों के वेतन कटौती देयक से भी जायेगी।
15. गार्ड से निकलने वाले समस्त कचरों को ट्रेचिंग ग्राउण्ड/एस.एल.आर.एम सेंटर तक परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर निर्धारित शुल्क आपके देयक से प्रतिमाह कटौती की जावेगी।

16. आवश्यकता पडने पर निगम सीमांतर्गत किसी भी क्षेत्र में कार्य लिया जा सकेगा।
17. सफल निविदाकार को उपस्थिती पंजी संधारण करना होगा जिसे प्रतिदिन सफाई दरोगा से सत्यापन कराना होगा।
18. सफाई संबंधी सामग्री राफा, झाडू, टोकना, हाथटेला, कीटनाशक दवाईयां, जलशुद्धिकरण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री आदि की व्यवस्था सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।
19. समस्त वार्डों में सर्वे के अनुसार मापों गये रोड एवं नाली के अनुसार कर्मचारियों को रखना होगा। आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
20. वार्ड में किये गये कार्यो का सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/सफाई दरोगा द्वारा तथा संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों से कराना होगा।
21. निविदाकार को सफाई श्रमिकों को कलेक्टर दर के अनुसार दर देना होगा।
22. दुर्घटना आदि होने पर चिकित्सा/मुआवजा सफल निविदाकार को देना होगा। नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
23. किसी भी स्थिति में सफल निविदाकार (टेकेदार) के श्रमिक, नगर पालिक निगम, में नौकरी का दावा नही करेंगे श्रमिक सफल निविदाकार के अधीन रहेंगे।
24. सफल निविदाकार को नुवान, फिनाईल, गैमजीन एवं अन्य कीटनाशक दवाईयो का छिडकाव स्वयं के व्यय से सप्ताह में दो दिन बुधवार व शनिवार को करना होगा। सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/सफाई दरोगा से कराया जाना होगा।
25. नाली सफाई नाली के तल्ले तक की लद्दी (सिल्ट) साफ करना होगा। आवश्यकतानुसार गहरा करना होगा।
26. कच्ची नाली पानी का ढाल देते हुए साफ करना होगा। आवश्यकतानुसार गहरा भी करना होगा।
27. सफल निविदाकार को सूचना प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर रू 50.00/--(पचासरूपये) के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना आवश्यक होगा।
28. कार्यरत् कर्मचारियों की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की राशि निविदाकार को जमा करना होगा अर्थात् श्रमिकों के वेतन से 12 प्रतिशत् ई.पी.एफ. एवं 1.75 प्रतिशत् ई.एस.आई.सी. की कटौती की जायेगी तथा टेकेदार द्वारा 13.61 प्रतिशत् ई.पी.एफ. व 3.75 प्रतिशत् ई.एस.आई.सी. को मिलाकर कुल 25.61 प्रतिशत् ई.पी.एफ. व 5.5 प्रतिशत् ई.एस.आई.सी. की राशि कर्मचारी के खाते में जमा करना होगा, तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। जमा नही करने पर चलित देयक से उक्त राशि की कटौती की जायेगी। जिसकी संपुर्ण जवाबदारी टेकेदार की होगी। श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना होगा।
29. समय-समय पर आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित वार्ड से संबंधित जानकारी एवं सर्वे कार्य निविदाकार को कराया जाना अनिवार्य होगा।
30. सफल निविदाकार के श्रमिकों को आवश्यकता पडने पर निगम सीमांतर्गत किसी भी वार्डों में कार्य कराना होगा। जिसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद ग्राह्य नही होगा।
31. सफाई श्रमिकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से लेना अनिवार्य होगा पश्चात् देयक का भुगतान किया जावेगा। बायोमेट्रिक मशीन निविदाकार द्वारा स्वयं क्रय कर रखना होगा।

32. निविदाकार को उस वार्ड में काग़ेस्त प्लसगैट कर्मचारियों को ही सफ़ाई कार्य हेतु रखना अनिवार्य होगा।
33. निविदा में दर्शित कार्यवधि के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में 25 प्रतिशत वृद्धि की जा सकेगी। उक्त अवधि में अनुबंधित दरो एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित निविदाकार बाध्य होगा।
34. किसी भी आकस्मिक घटना/दुर्घटना की संपुर्ण जवाबदारी अनुबंधित निविदाकार की होगी।
35. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावा/अपील ग्राह्य नहीं किये जावेंगे।

Bms
66/03/17
आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव